

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

06.02.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

30.01.2024

संख्या  
24/2023

श्रीमती नन्दू पत्नी श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा

(राज0)  
पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा

(राज0)  
लहरी पुत्री श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा

(राज0)  
कैलाशी पुत्री श्री भैरू जाट आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती नन्दू

पत्नी श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. सुण्डा पुत्र श्री सुखदेव जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

2. गोपालदास पुत्र श्री बंशीदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

3. श्रवण पुत्र श्री गोपाल बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

4. सत्यनारायणदास पुत्र श्री बंशीदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

5. आशा पुत्री सायर बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

6. कल्याण पुत्र श्री कानदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

7. नाना पुत्री श्री सायर बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

8. मदन पुत्र श्री कानदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।


9. रामदास पुत्र श्री गोकुलदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

10. लक्ष्मण पुत्र श्री कानदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

11. सुखा पुत्र श्री कानदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

12. लादू पुत्र श्री नारायण उर्फ नारू जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

13. श्रीमती कंचन देवी पत्नी स्व0 श्री किशोर जाट आयु वयस्क निवासी गोरधनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

- श्री गैरु जाट आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री गैरु जाट आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री गैरु जाट आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री सुखदेव जाट आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री जगनाथदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री जगनाथदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री कानदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री जगनाथदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री जगनाथदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री नन्दादास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री जगनाथदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- श्री गोकलदास बैरागी आयु वयस्क निवासी गोर्धनपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज0)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी रामेश्वर लाल जाट  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 26 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-  
-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोर्धनपुरा तह0 खायडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकला तहसील व जिला भीलवाडा की


*Shad*  
इपेखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 50 की अभिलिखित आराजियात 139, 140, 144, कुल किता 05 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी 326/140, कुल किता 05 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी 139, 326/140, कुल किता 05 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी 144, 325/139, 326/140, कुल किता 05 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

हमने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि राजा गोरधनपुरा प0ह0 खायड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 50 की अभिलिखित आराजियात 139, 140, 144, 325/139, 326/140, कुल किता 05 कुल रकबा 1.2772 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)  
सहायक अधिकारी  
भीलवाडा